न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/799

1. मूलचन्द पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जाति माली,
2. प्रकाश पुत्र श्री मथुरा प्रसाद जाति माली,
3. मथुरा प्रसाद पुत्र श्री बालुराम जाति माली,
   समस्त निवासीयान ग्राम मावन्डाकला पटवार हल्का मावन्डाकला भू.अ.नि.क्षेत्र नाथाकी नांगल, तहसील नीमकाथाना जिला सीकर, राजस्थान।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश, जिला सीकर, राजस्थान।
2. तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।
3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर, राजस्थान।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 1881/2021 निर्णय दिनांक 08.11.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्ध पारित किया गया।

उपस्थित :—

1. श्री रमेश कुमार सैनी, वकील अपीलान्ट्स।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 3 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :— 15.01.2026

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.11.2021के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 20.04.2023 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मावण्डा कलां में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु पटवार मण्डल मावण्डा कलां के राजस्व ग्राम मावण्डा कलामें स्थित भूमि खसरा नम्बर 841, 840, 814, 815, 808, 803/2, 793/1 में मुख्य तिराहे से ढाणी बगड़ावाली तक रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत मावण्डा कला का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि एवंराजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू—राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने, संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम की जाने एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रखने तथा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 08.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 08.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 विधि विरूद्ध एवं एकपक्षीय होने के कारण काबिले निरस्त किये जाने योग्य है। आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 को विधि विरूद्ध एवं अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय सुनवाई करके बिना अपीलार्थी के सुनवाई किये ही अपीलार्थी की भूमिं खसरा नम्बर 841 रकबा 2.66 है० किस्म चाही में से 0.20 है० भूमि गैरमुमकिन रास्ता के लिये दर्ज करने के आदेश दिनांक 08.11.2021 को पारित कर दिये। अपीलार्थी की उक्त वर्णित भूमि के संबध मे अपीलार्थी को किसी प्रकार का नोटिस देकर तलब नही किया गया तथा ना ही किसी प्रकार से अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया गया तथा अपीलार्थी की भूमि खसरा नम्बर 841 में से गैरमुमकिन रास्ते का सर्जन कर दिया गया, इस कारण आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 काबिले निरस्त किये जाने के योग्य है।उक्त आक्षेपित अपीलाधीन आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी भूल की है क्योकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 एवं भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के तहत अपीलार्थी की भूमि पर मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है तथा पटवारी हल्का ने अपीलार्थी की अनुपस्थित में मौका रिपोर्ट गलत तथ्यों के आधार पर बनाकर पेश कर दी जिसे सही मान कर उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि विधि विरूद्ध होने के कारण इसी आधार पर उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 निरस्त किये जाने योग्य है ।

अपीलाधीन आक्षेपित आदेश तत्पश्चात नामान्तकरण पारित करने के पूर्व अपीलार्थी को पक्षकार नही बनाया गया तथा ना ही अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया, इसलिये आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 के आधार पर तस्दीक किया गया नामान्तकरण भी प्रारम्भ से नल एण्ड वोईड (Null and Void) इस कारण आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 काबिले निरस्त किये जाने के योग्य है। अपीलार्थी को उक्त आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का मौका नही दिया गया तथा हल्का पटवारी ने मौका रिपोर्ट अपीलार्थी की अनुपस्थिति में गलत बनाकर पेश की है जिसके आधार पर बिना सुनवाई के ही उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जबकि उक्त खसरा नम्बर 841 में मौके पर कोई रास्ता नही है इसलिये पटवारी हल्का द्वारा मौके पर रास्ता बताकर जो मौका रिपोर्ट पेश की गई है वह गलत होने के कारण उक्त आक्षेपित आदेश दिनांक 08.11.2021 विधि विरूद्ध एवं एकपक्षीय होने से काबिले निरस्त किये जाने योग्य है।अपीलार्थी को उक्त आक्षेपित आदेश पारित करने से पूर्व सुनवाई का मौका नही दिया गया है तथा खसरा नम्बर 841 को तीन भागों में बिना सुनवाई किये ही मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 839, 840 व 841 में कटना चाहिये था लेकिन उक्त राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत मावण्डा कला में लगाये गये रास्ते मे एक रास्ता जो गलत कटाण मे कट गया जबकि खेत की मैड के उपर से कटाण मे काटना चाहिये था जबकि एक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

खसरा नम्बर मे कट गया है खसरा नम्बर 841 मे रास्ता इन्द्राज हो गया जब की खसरा नम्बर 839, 840 व 841 मे कटना चाहिये था। तो इस का शुद्धीकरण किया जावे तो आपसी विवाद खत्म हो जायेगा तीनों खसरों मे समान भूमि आ जाऐगी। इसके लिये कार्यालय ग्राम पंचायत मावण्डा कलां पंचायत समिति नीमकाथाना, जिला सीकर राजस्थान के द्वारा दिनांक 06.04.2023 को प्रमाण पत्र जारी किया गया है जो उक्त आपेक्षित आदेश इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त अपील को आक्षेपित आदेश की जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है लेकिन फिर भी उक्त अपील को पेश करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने के लिये अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 08.11.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 08.11.2021 को अपीलार्थी की हद तक खसरा नम्बर 841 में निकाले गये गैर मुमकिन रास्ते को निरस्त फरमाया जाकर उक्त आक्षेपित आदेश की पालना में खोला गया नामान्तकरण भी निरस्त करने के आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 लगायत 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही नकल हेतु आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर नकल प्राप्त करना एवं अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश किया जाना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट्स का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 कैम्प मावण्डा कला में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु पटवार मण्डल मावण्डा कला के राजस्व ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मावण्डा कला में स्थित भूमि खसरा नम्बर 841, 840, 814, 815, 808, 803/2, 793/1 में मुख्य तिराहे से ढाणी बगड़ावाली तक रास्ता का प्रस्ताव मय ग्राम पंचायत मावण्डा कला का अनापत्ति प्रमाण पत्र, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी इत्यादि एवं राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने की अभिशंषा रिपोर्ट सहित उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना, जिला सीकर के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रैस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रखने एवं संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किये जाने तथा तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रैस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 पारित किये गये हैं।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से होकर गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जिसको नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक व पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत मावण्डा कला के अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.11.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.11.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर